न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-6/2015

अंवरी देवी पत्नी सुरेश कुमार पुत्री महावीरप्रसाद जाति चेजारा निवासी ग्राम गोल्याणा हाल छावनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर(राज0)

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सम्पति देवी पत्नी तहदेव पुत्री महावीर प्रसाद जाति चेजारा ग्राम गोल्याणा हाल व्यास कालोनी शास्त्री नगर जयपुर(राज0)

2- ओमप्रकाश पुत्र महावीरप्रसाद
3- चन्द्रादेवी पत्नी लक्ष्मण
4- पारस पुत्र लक्ष्मण उम्र-5 वर्ष
5- भोली पुत्री लक्ष्मण उम्र 3 वर्ष

जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)

नाबालिग जरिये कुदरती वली माता चन्द्रा देवी पत्नी लक्ष्मण जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

6- महावीरप्रसाद पुत्र नवलकिशोर जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

7-युगल किशोर पुत्र नवलकिशोर जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू-मृतक जरिये विधिक वारिस

7/1- परमेश्वरी पत्नी युगलकिशोर
7/2- कमलेश पुत्र युगलकिशोर
7/3- धर्मेन्द्र पुत्र युगलकिशोर

जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)

7/4- विधादेवी पुत्री युगलकिशोर पत्नी कैलाश जाति चेजारा निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर(राज0)

8- उप पंजीयक नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

9- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री
दिनांक 9-1-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नवलगढ ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री महिपाल कपूरिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सुरेन्द्रसिंह किशनावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती रेकार्ड बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया वाके ग्राम चिराणा की सरहद में भूमि ख0नं08 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 1013/7 रकबा 0.12 हैक्टर, ख0नं0 1014/7 रकबा 0.11 हैक्टर, ख0नं0 1017/22 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 1018/22 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 7 रकबा 0.12 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता-7 रकबा 0.44 हैक्टर तथा वाके ग्राम रामपुरा में आराजी खसरा नंम्बर 954/896 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 953/896 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 896 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता-3 रका 1.70 हैक्टर है । जिसके पुराने खसरा नं0 1384 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 1388 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा है । उक्त आराजी की खातेदारी वादीया के दादा नवलकिशोर के नाम दर्ज है ।उक्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 की पैतृक भूमि है ।नवलकिशोर के दो पुत्र महावीर व युगलकिशोर हुये जिसमें महावीरप्रसाद के वारिस वादीया एवं प्रतिवादी सं0-1 6 है जिनका 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0-7 का है ।प्रतिवादी सं0-6 व 7 ने मिली भगत कर एक विक्रय पत्र दिनांक 2-8-2007 को एवं एक वसीयत दिनांक 2-5-2007 को प्रतिवादी सं0-7 ने अपने हक में करवा ली।

दर्ज करवाई है विवादित आराजी पैतृत होने से उक्त आराजी में वादीया का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-1, 2 व 6 का 1/0, 1/10 हिस्सा है, प्रतिवा--दी सं0-3 से 5 का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-7 का 1/2 हिस्सा है । विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । जिसके कब्जा काश्त को लेकर आये दिन झगड़ा होता है।अतः वादीया का दावा स्वीकार कर वादीया को 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-1, 2 को 1/10, 1/10, प्रतिवादी संख्या- 3 से 5 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0-6 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-7 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता अलग अलग कायम किया जावे । तथा विक्रय पत्र दिनांक 2-8-2007 व वसीयत दिनांक 2-5-2007 शुन्य व बेअसर घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीया का दावा प्रतिवादी संख्या-7 का प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी0 पी0सी0 स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी काश्त व कब्जे की आराजीयात है। जिसको किसी भी हिस्से को बिना सक्षम अदालत से विधिवत बंटवारा कराये मुन्तकिल नहीं किया जा सकता । विक्रय पत्र दिनांक 2-8-2007 व वसीयतनामा दिनांक 2-5-2007 विधि विरूद्ध है जो बेअसर दस्तावेजात होने के कारण उनके द्वारा प्रतिवादी नं0-7 युगलकिशोर के हक में किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी हकूक व हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ । अदालत मातहत ने दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवचेन न कर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर यह बखूबी साबित है कि विवादित आराजी पैतृक है तथा विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । वादीया ने विवादित आराजी के बंटवारा का दावा पेश किया किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट की इस इस्तदुआ को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट ने तथाकथित विक्रय पत्र एवं वसीयतनामें को केवल शुन्य एवं बेअसर घोषित करने का दावे में निवेदन किया

7 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट की बिना साक्ष्य लिये ही दावा खारिज किया है जबकि दावे का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट/वादीया ने अपने दावे में विक्रय पत्र एवं वसीयतनामा को शून्य एवं बेअसर करने का पेश किया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-207 के अनुसार राजस्व न्यायालय उन्हीं वादों एवं अथवा कार्यवाही का श्रवणाधिकार कर सकता है जिनका उल्लेख तृतीय सूची अनुसूची में किया गया । तृतीय अनुसूची के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज को नल एण्ड वोयड करार किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह तथ्य स्पष्ट किया है । अदालत मातहत मे वादीया ने सरकार के विरूद्ध रिलीफ चाही है किन्तु मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर को पक्षकार नहीं बनाया । इस कारण भी अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-7 का प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम- 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज किया है ।वादिया को विक्रय पत्र एवं वसीयत जो रजिस्टर्ड है उनको सिविल न्यायालय से ही निरस्त कराना होगा। राजस्व न्यायालय में इनको बेअसर एवं शुन्य नहीं किया जा सकता ।अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है ।जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक

9-01-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.5.2018 को सुनाया गया ।

21/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर